चीनी मिलों का फीका जायका

उच्चतम न्यायालय के फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस निर्णय को बरकरार रखा गया है जिसके मुताबिक मिलें बैंक को गिरवी के तौर पर चीनी बेच सकती हैं ताकि वे किसानों को गन्ने की बकाया राशि का भुगतान कर सकें

संजीव मुखर्जी और वीरेंद्र सिंह रावत

त्योहार का मौसम आने का संकेत तब मिलने लगता है जब चीनी मिलों का काम बढ़ जाता है। त्योहार के दौरान लोग दोस्तों, परिवार और अपने सहयोगियों के लिए तोहफे के तौर पर देने के वास्ते खूब सारी मिठाइयां खरीदते हैं। उत्तर प्रदेश की बड़ी चीनी कंपनियों से काफी मात्रा में मांग की जाती है। यह राज्य देश का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक क्षेत्र है और यहां सबसे ज्यादा तादाद में निजी चीनी मिलें हैं। लेकिन इस साल इन मिलों में निराशा का माहौल साफ देखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि ये चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं और राज्य ने गन्ने का इतना ज्यादा दाम तय किया है कि अब मिलों का संचालन आर्थिक लिहाज से लाभदायक नहीं रहेगा। चीनी मिलें गन्ने की कीमत के लिए एक नया फॉर्मूला चाहती हैं जिसे चीनी की मौजूदा कीमत से जोड़ दिया जाए।

लेकिन लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है और वह चाहती है कि किसानों जैसे इस क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों के हितों की सुरक्षा भी की जाए। सरकार ने मिलों को मध्य नवंबर से चीनी का उत्पादन करने अन्यथा नतीजे का सामना करने की चेतावनी दी है। मिलों के लिए यह मामला और गंभीर हो रहा है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस निर्णय को कायम रखने के लिए कहा गया जिसके मुताबिक मिलें बैंक के पास जमानत के तौर पर रखे चीनी भंडार को बेच सकती हैं ताकि वे किसानों को गन्ने की बकाया राशि का भुगतान कर सकें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ देश के दो बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और पंजाब नैशनल बैंक की याचिका पर शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुनाया था। दोनों बैंकों का इन मिलों में निवेश करीब 5,000 करोड़ रुपये तक था। एसबीआई ने अपनी याचिका में यह तर्क दिया था कि अगर बैंकों को चीनी भंडार पर पहला अधिकार नहीं दिया जाता तो यह न केवल बैंकों और मिलों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा बल्कि किसानों के लिए भी यह अच्छा नहीं होगा क्योंकि इसकी वजह से चीनी मिलें गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) साबित हो सकती हैं। ऐसे में बैंकों को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत कुछ सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। इसके बाद कोई भी बैंक इन मिलों को कर्ज देने के लिए पहल नहीं करेगा।

मिलें सालाना आधार पर पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने चीनी भंडार को गिरवी रखती हैं। गन्ने की पेराई वाले सीजन की शुरुआत में आमतौर पर चीनी को बैंक के पास गिरवी रखा जाता है जिसके एवज में बैंक उनके लिए कर्ज की सीमा बढ़ाते हैं जो चीनी के भाव के 85 फीसदी के बराबर होता है। मिलें पेराई के सीजन के दौरान कर्ज लेती हैं और इस कर्ज में तब कमी आती है जब चीनी की खुदरा कीमतों में भी गिरावट आती है और इसके बाद गिरवी रखे गए चीनी भंडार के भाव भी कम हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना नियंत्रण आदेश में यह कहा गया है कि इस कर्ज का 85 फीसदी हिस्सा अनिवार्य तौर पर किसानों में वितरित किया जाना चाहिए। इस तरह गिरवी चीनी के 72 फीसदी मूल्य का इस्तेमाल किसानों के भुगतान पर खर्च किया जा सकता है।

> चीनी की कीमत जितनी ज्यादा होगी तो किसानों को भुगतान भी ज्यादा ही किया जाएगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक पहले से ही इस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं

इसी बिंदु पर चुनावी राजनीति अपना दांव खेलती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2013-14 के लिए गन्ने की कीमत 280 रुपये प्रति क्विंटल तय की है जो इस महीने खत्म होगा। 9.2 फीसदी रिकवरी (प्रति क्विंटल गन्ने से उत्पादित किलोग्राम चीनी) और 25 फीसदी परिवर्तन लागत 38 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी की उत्पादन लागत में बदल जाती है। उत्तर प्रदेश में मिल से बाहर चीनी की कीमत 28.50 रुपये प्रति किलोग्राम है। इस तरह उत्पादित प्रति किलोग्राम चीनी पर 9.50 रुपये का घाटा होता है। किसानों के भुगतान के लिए मिलों को बैंक से बाजार कीमत का 72 फीसदी हिस्सा मिलता है जो करीब 20.52 रुपये होता है। मिलों का दावा है कि गन्ने की कीमत सही नहीं है जिसकी वजह से 14 अक्टूबर तक बकाया राशि 2,800 करोड़ रुपये तक थी।

भारतीय चीनी मिल संघ के महानिदेशक अविनाश वर्मा का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तय की गई गन्ना कीमतों में जब तक बड़ी कटौती नहीं की जाती है तो आने वाले सीजन में बकाया राशि और बढ़ेगी। कीमतों में बड़ी कटौती तभी संभव है जब खरीद कीमत को बिक्री कीमत के साथ जोड़ दिया जाए या चीनी की खुदरा कीमतों में काफी तेजी आए। मिलों के मुताबिक इस गतिरोध को खत्म करने का एकमात्र संभावित तरीका यह है कि कुछ ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जाए जिससे गन्ने की कीमत को चीनी और इससे जुड़े उत्पादों की वास्तविक विक्रय राशि जुड़ जाए जिसका सुझाव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष सी. रंगराजन ने दिया था। इसमें यह कहा गया था कि राज्य द्वारा सुझाई गई कीमत के बजाए मिलों को चीनी और इससे जुड़े उत्पादों की कीमत के 70 फीसदी हिस्से का भुगतान किसानों को किया जाना चाहिए। चीनी की कीमत जितनी ज्यादा होगी तो किसानों को भुगतान भी ज्यादा ही किया जाएगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक पहले से ही इस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त सुभाष चंद्र शर्मा का कहना है कि राज्य में रंगराजन के फॉर्मूले को मौजूदा प्रारूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे ज्यादातर मसलों का हल नहीं निकलता है। उनका कहना है, 'कमेटी ने गन्ने किसान की फसल की लागत के बारे में कुछ नहीं कहा है और उनकी लागत के दावे को भी नजरअंदाज किया है।' उनके मुताबिक राज्य गन्ने की कीमत का फॉर्मूला खुद ही तैयार करेगा जिससे इस क्षेत्र के सभी पक्षकारों के हितों की सुरक्षा होगी। राज्य सरकार ने मुख्य सचिव और गन्ना आयुक्त ने इस मसले के लिए दो समितियों का गठन किया है। गन्ना आयुक्त की कमेटी मुख्य सचिव के नेतृत्व वाली समिति को अपनी सिफारिशें देगी जो आखिरकार गन्ने की कीमत पर फैसला करेगी। एक बार जब राज्य मंत्रिमंडल इन सिफारिशों पर अपनी मंजूरी देती है तब इस कीमत की सूचना मिलों और किसानों को दे दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में चीनी की कीमतों के अनुपात में गन्ने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है और मसलन यह वर्ष 2009-10 के 57.1 फीसदी से बढ़ाकर वर्ष 2010-11 में 79.06 फीसदी और वर्ष 2011-12 के 81.26 फीसदी से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 88.88 फीसदी हो गया। वर्मा के मुताबिक राज्य द्वारा सुझाई गई कीमत चीनी के भाव का 97 फीसदी है। एक मिल मालिक सवाल खड़े करते हैं, 'बाकी बची राशि से आपको मजदूरों का वेतन, ब्याज और प्रबंधन आदि पर खर्च करना पड़ता है। आखिर यह कैसे संभव होगा?' इसी वजह से ज्यादातर चीनी कंपनियों के शेयर रिकॉर्ड निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। राज्य ने मिलों के लिए कुछ कर रियायत और छूट की घोषणा की है जो करीब 11 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना है। मिल मालिक कहते हैं, 'यह छूट अभी तक पूरी तरह नहीं दी गई है और करीब 6 रुपये प्रति क्विंटल अभी लंबित है। वहीं दूसरी ओर राज्य की सहकारी चीनी मिलों को 87 रुपये प्रति क्विंटल तक की छूट और मदद राशि दी गई है जिससे यह अंदाजा मिलता है कि मिलों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।' केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, 'उत्तर प्रदेश के चीनी संकट की बुनियादी दिक्कत अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप और कुछ मिलों की अक्षमता है। अगर ऐसा नहीं होता तो देश के अन्य हिस्सों की चीनी मिलों में समान स्थिति देखने को मिलती।'

लखनऊ विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर सुधीर पंवार किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि दिसंबर के मध्य से पहले चीनी मिलों का परिचालन संभव नहीं है। वह कहते हैं, 'उस वक्त तक किसानों को अपनी चीनी को स्थानीय गुड़ इकाइयों को बेचने को मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल कटाई के लिए तैयार है।' केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले इस संकट का समाधान करने की दिशा में पहल करते हुए कुछ मदद की घोषणा की थी लेकिन वह चाहती है कि किसी बड़े उपाय की घोषणा से पहले मिलें किसानों के गन्ने की बकाया राशि का भुगतान करें।

गन्ने की पेराई वाले सीजन की शुरुआत में आमतौर पर चीनी भंडार बैंक के पास गिरवी रखा जाता है जिसके एवज में बैंक उनके लिए कर्ज की सीमा बढ़ाते हैं जो चीनी के भाव के 85 फीसदी के बराबर होता है

केंद्र सरकार चाहती है कि मिलें किसानों के गन्ने की बकाया राशि चुका दें